Dr Karuna Roy
Associate Professor
Hindi Department
S.G.G.S. College, Patna City
email : Karuna_1812@Yahoo.co.in

स्नातक खण्ड - III
पत्र - 5 (भाषा विज्ञान)
वर्ग-'ख' इकाई - 6
राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी

प्रस्तुत ई कंटेन्ट भाषा विज्ञान पत्र-5 का अंतिम ई कंटेन्ट है। इसके साथ ही आपका पंचम पत्र पूर्ण हो जायेगा। यह कंटेन्ट मूल व्याख्यान की संक्षिप्त प्रस्तुति है। इसे आप पुनर्पाठ (Revison) के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाषा के विविध रूप हैं। राजभाषा का स्थान एवं सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा को पहले विभिन्न स्तरों और रूपों से गुजरना पड़ता है। भारत की राजभाषा हिन्दी भी इसका अपवाद नहीं है। यह हमेशा सम्पर्क भाषा रही है। इसके अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का स्वरूप, राजभाषा हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी की स्थिति इन सब पर भी इस पाठ में विचार किया जायेगा। भारत देश बहुभाषी है फिर भी हमारे देश में विविधता में एकता है। हिन्दी भाषा की भूमिका पर भी इस लिखित सामग्री में विचार किया जायेगा।

<u>राजभाषा</u> - राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है - "सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा" हिन्दी में 'राजभाषा' शब्द अंग्रेजी के 'ऑफिशियल लैंग्वेज (Official Language) के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी रूप से स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की रक्षा करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भाषा के द्वारा केन्द्र, प्रशासन संबंधी कार्यभार सँभाले और संचालन करे, वही राजभाषा है। आज जनतंत्रात्मक शासन में संपूर्ण देश में एक भाषा द्वारा शासन करना उपयुक्त है। एक राजभाषा के द्वारा ही केन्द्रसरकार सम्पूर्ण राज्यों को अपने अधीन रख सकती है। प्रशासन का कार्य कर जनता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।

भारत के संविधान, अध्याय 17, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के विधानांग (Legislative) कार्यांग (Executive) एवं न्यायांग (Judiciary) आदि तीन प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में प्रयुक्त भाषा से है।

<u>राजभाषा की परिभाषा</u> · डॉ० हरिमोहन के अनुसार - "राजभाषा का सीधा अर्थ है, जिस भाषा में राज-काज किया जाता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र-व्यवहार, राज-कार्य और सरकारी लिखा-पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है।"

संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार राजभाषा अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः चार क्षेत्रों में आवश्यक है। शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अतः इन चारों जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। हिन्दी भारत की राजभाषा है। यह भी स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग की बात भारतीय संविधान में अंकित है।

<u>राष्ट्रभाषा</u> - राष्ट्रभाषा का अर्थ राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है वह भाषा जो समूचे राष्ट्र को एक भावात्मक एकता के सूत्र में बाँध सके। राष्ट्रभाषा शब्द में काफी व्यापक अर्थ समाया हुआ है। डॉ० अंबाप्रसाद देशमुख के अनुसार, "किसी भी देश में एक से अधिक भाषाएं होती हैं किंतु पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा ऐसी होती है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है।" इस परिभाषा के आधार पर आप समझ ही गये होंगे कि राष्ट्रभाषा का पद भी हिन्दी को ही दिया जा सकता है। आपके और हमारे देश में अंग्रेजी को चाहे जितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न प्राप्त हो वह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इसके लिए हिन्दी ही उपयुक्त है।

राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहेंगे जिसके माध्यम से संपूर्ण देशवासी विचार-विमर्श कर सकें; जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर भी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा जिसमें हमारे विचारों को वहन (ढोने) का सामर्थ्य हो। डॉ० भोलानाथ तिवारी ने एक वाक्य में राष्ट्रभाषा की सटीक परिभाषा दी है - 'राष्ट्रभाषा वह है, जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करे।" सामान्यतः जिस भाषा का प्रयोग संपर्क और अन्य व्यवहार में

समस्त राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं तथा जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक-से-अधिक लोग लिख बोल तथा समझ सकते हैं उसे ही राष्ट्रभाषा कहलाने का अधिकार है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम यह मान सकते हैं कि क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत होकर महत्वपूर्ण हो जाती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाने लगती है।

किसी भी देश में जब एक से अधिक भाषायें होती हैं तब पूरे देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए एक ऐसी भाषा आवश्यक होती है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा उसी अस्मिता का निवेदन करती है। महात्मा गाँधी ने कहा है कि 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।" उन्होंने देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि 'राष्ट्र की भाषा एक एकता के लिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। हिन्दी अपने सर्वांगीण विकास के साथ-साथ अपनी सभी सगिनी भाषाओं के उत्कर्ष की प्रबल समर्थक है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। हिंदी को 'संघ की भाषा' कहा गया है इसलिए हिन्दी की कानूनी स्थिति राजभाषा की है राष्ट्रभाषा की नहीं। आजादी की लड़ाई में यह राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रस्तुत की जाती थी पर संविधान में इसे राजभाषा का पद दिया गया और वह भी अंग्रेजी के साथ सह अस्तित्व के फार्मूले को अपनाकर। चूँकि अंग्रेजी शासन में सारा राज-काज अंग्रेजी भाषा में चलता था इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी कि जब तक हिन्दी पर्याप्त समर्थ नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चलता रहेगा। आज तक हिन्दी इतनी समर्थ नहीं हो पाई है ऐसा हमारे राजनेताओं को लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिन्दी के विकास के निर्देश दिये गये हैं। साथ में अष्टम अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का समावेश किया गया है जो संबंधित राज्य में प्रयुक्त होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं –

1. असमिया	7. तमिल	13. संस्कृत	19. मैथिली
2. उड़िया	8. तेलगु	14. सिंधी	20. संथाली
3. उर्दू	9. पंजाबी	15. हिन्दी	21. बोडो
4. कन्नड़	10. बंगला	16. मणिपुरी	22. डोगरी
5. कश्मीरी	11. मराठी	17 नेपाली	
6. गुजराती	12. मलयालम	18 कोंकणी	

संपर्क भाषा – संपर्क भाषा वह भाषा है जो दो भिन्न भाषा-भाषी लोगों के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायक हो।

आखिर, एक ही भाषा के दो भिन्न उपभाषाओं के मध्य अथवा अनेक अलग-अलग बोलियाँ बोलने वालों के मध्य संपर्क का माध्यम होती हैं। संपर्क भाषा के द्वारा विचारों का परस्पर आदान प्रदान ऐसे अवसर पर किया जाता है जब दो या दो से अधिक अलग-अलग भाषा बोलने वाले अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाना चाहें और वे एक दूसरे की मूल भाषा को नहीं जानते हों। उदाहरण के लिए एक बांग्ला भाषा बोलनेवाला पंजाबी से किस तरह बात करेगा? अथवा एक तमिल भाषा-भाषी गुजराती भाषा-भाषी से कैसे विचार विनिमय करेगा? इसके लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो भले ही उनकी मातृभाषा न हो पर वे उसे जानते हों। हमारे देश में यह कार्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें करती हैं।

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है वह, रोजगार, पर्यटन और अन्य उद्देश्यों से एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आता जाता रहता है। ऐसे में संपर्क भाषा उसके लिए मददगार होती है। संपर्क भाषा या (Contact ~~Langhg~~ Language) की परिकल्पना सिर्फ एक राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य भी संपर्क स्थापित करने के लिए की गई। संपर्क भाषा के तीन रूप हैं - 1 Common langage या सामान्य भाषा, 2. Lingua Franca या सार्वदेशिक भाषा तथा Interlanguage अर्थात अंतर भाषा। हमारे देश में संपर्क भाषा तीन रूपों में कार्य कर रही है-

(1) दो विविध भाषा-भाषी मनुष्य या समुदाय के मध्य संपर्क स्थापित करने में।

(2) दो विविध भाषा-भाषी राज्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने में। तथा,

(3) विविध भाषा भाषी राज्य और केन्द्र के मध्य संपर्क स्थापित करने में।

एक समृद्ध और समर्थ भाषा ही यह कार्य कर सकती है। इसलिए हिन्दी को सर्वोच्च संपर्क भाषा माना जा सकता है। इस भाषा का प्रचार प्रसार देश विदेश सभी स्थलों पर है। भारत में हिन्दी भाषा की पढ़ाई कई विश्वविद्यालयों में होती है। साथ ही विदेशों में भी जैसे जर्मनी, रूस, जापान, अमेरिका आदि में हिन्दी भाषा के अध्ययन केन्द्र हैं। भारत अपनी जनसंख्या के कारण एक बड़ा बाजार भी है। आज हमारे देश और विदेशों में भी व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को तेजी से अपनाया जा रहा है।

[signature]

mobile No. 9431881251